विवेक खांडेकर, भा0व0से0
सहायक महानिदेशक
प्रशासनिक निदेशालय

फोन : 0135 - 2224869
फैक्स : 0135 - 2750297
ईमेल : adg_admin@cfre.org

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

(पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद्)
डाकघर नव वन, देहरादून - 248006 (उत्तराखण्ड)

पत्रांक सं0 06 / क्रय विभाग / एन0एल0 / प्रशा0 / भा0वा0अ0शि0प0 / 2014 15 दिनांक 04 जुलाई 2014

सेवा में,

विषयः हिन्दी वानिकी समाचार के वर्ष 6 अंक 1 व 2 के मुद्रण के लिये मोहरबन्द निविदा आमंत्रित हेतु।

महोदय,

"हिन्दी वानिकी समाचार" के वर्ष 6 अंक 1 व 2 के मुद्रण सुविधा प्राप्त करने के लिये नवीनतम कंप्यूटर आधारित मुद्रण प्रणाली द्वारा मुद्रित करने के लिये प्रतिष्ठित मुद्रकों से मोहरबन्द निविदा आमंत्रित किये जाते है। हिन्दी वानिकी समाचार की 1000 प्रतियां प्रति छमाही अर्थात कुल 2000 प्रतियां सालाना मुद्रित की जानी है । प्रतियों का मुद्रण निम्नलिखित विशिष्टताओं के साथ होना चाहिए।

1	आकार	18.5 से0मी0 X 26 से0मी0
2	पृष्ठ संख्या	8 पृष्ठ
3	कागज	130 GSM आयातित मैट पेपर
4	साधन	बहुरंगी (4 रंग)
5	बाईन्डिग	केन्द्र स्टिच
6	मात्रा	2000 प्रतियां (1000 प्रति छमाही)

दरें स्वीकृत होने पर कुल 2000 प्रतियों का मुद्रण, जोकि 1000 प्रतियां प्रति छमाही पर किया जाना है।

निविदा क्रय अधिकारी, भा0वा0अ0शि0प0, देहरादून के कमरा संख्या 105 पर जमा होंगे। निविदा के प्रस्तुत करने का अन्तिम समय दिनांक 19 जुलाई 2014, साय 3:00 बजे तक है।

(विवेक खांडेकर)
सहायक महानिदेशक (प्रशा0)

प्रतिः—

1. सहा0 महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार), भा0वा0अ0शि0प0, दे0दून
2. प्रमुख, सू0प्रौ0, भा0वा0अ0शि0प0 कृपया उक्त निविदा को भा0वा0अ0शि0प0 के वेब साइट में डालने कृपा करें

नियम एवं शर्तें

1. मुद्रक को सहायक महानिदेशक (प्रकाशन एवं विस्तार), भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून से पाण्डुलिपियां लेने होंगे और प्रेस प्रूफ तथा मुद्रित सामग्री, सहायक महानिदेशक (मीडिया एवं विस्तार) को देनी होगी ।

2. अनुमोदित दरों में सभी कर शामिल होंगे ।

3. कार्य आदेश प्राप्त होने के उपरांत तीन दिन के भीतर प्रथम प्रैस प्रूफ (हार्ड कॉपी में) तथा उसके उपरांत सभी प्रैस प्रूफ (चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो) ई–मेल द्वारा एक कार्य दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा। प्रैस प्रूफ समय से प्राप्त न होने पर प्रति कार्य दिवस रू0 200/– का विलम्ब शुल्क मुद्रक द्वारा देय होगा। मुद्रण आदेश मिलने के 3 दिवस के भीतर मुद्रित वानिकी समाचार न मिलने पर प्रति कार्य दिवस रू0 500/– का विलम्ब शुल्क मुद्रक द्वारा देय होगा।

4. स्वीकृत दरें कार्य आदेश जारी करने के एक साल बाद तक मान्य रहेंगी और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को दरों में परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा ।

5. विषय–वस्तु तथा कलर स्लाईड्स सहायक महानिदेशक, (मीडिया एवं विस्तार) के द्वारा मुहैया कराया जायेगा ।

6. अन्तिम मुद्रण से रंगीन पूर्व, प्रेस–प्रूफ सहायक महानिदेशक, (मीडिया एवं विस्तार) द्वारा अनुमोदित करवाना होगा ।

7. गलत, कम तथा असंबद्ध साम्रगी की आपूर्ति होने पर सामग्री की प्रतिपूर्ति का उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता पर होगा । मुद्रण एवं कागज की गुणवत्ता में अंतर पाए जाने पर मुद्रक को कार्यादेश में उल्लिखित विशिष्टताओं/गुणवत्ता के अनुसार पुनर्मुद्रण कर आपूर्ति करनी होगी। इस विषय में सहायक महानिदेशक (प्रशा0), भा0वा0अ0शि0प0 का निर्णय अंतिम होगा।

8. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद वानिकी समाचार की अन्तिम भुगतान राशि, पृष्ठों की संख्या के आधार पर दी जायेगी क्योंकि पृष्ठों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

9. कार्य पूर्ण होने पर बिल की रकम प्राप्त करने से पहले मूल फोटोग्राफ्स आदि सहायक महानिदेशक, (मीडिया एवं विस्तार) को वापस करने होंगे ।

(विवेक खांडेकर)
सहायक महानिदेशक (प्रशा0)